संख्या-11/86 मंत्री/26-3-2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।
2. जिलाधिकारी,
मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर,
बिजनौर, सम्भल।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ - दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

विषय- मुरादाबाद मण्डल में पासी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री गेंदनलाल पासी पुत्र श्री हुलासी राम पासी, ग्राम शाहपुर तिगरी, वार्ड नं0-1, मुरादाबाद का पत्र दिनांक 09.09.2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि मुरादाबाद मण्डल के जनपदों में पासी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में शासन द्वारा जिलाधिकारियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का कार्य

http://shasanadesh.up.nic.in

राजस्व अधिकारियों का है, जो भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 1976 (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976) में उल्लिखित जातियों के संबंध में 1359 फसली अभिलेख/स्थलीय पूंछतांछ/जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं (स्कूल/विद्यालय) के टी0सी0 प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्णय लेते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। उक्त अधिनियम के क्रमांक 59 पर पासी जाति वर्गीकृत है।

प्रश्नगत मामले में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में उक्त उल्लिखित अभिलेखों को आधार मानकर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि एक साक्ष्य से निर्णय पर पहुंचने में असुविधा हो तो अन्य साक्ष्य देखे जाने चाहिए। अत: इस संबंध में समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अनुसार भली भांति जांच पड़ताल करके पात्र व्यक्तियों को उनकी जाति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह भी अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-685/26-3-2011, दिनांक 28-2-2011 द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठन किया गया है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने, फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण होने एवं अन्य विसंगतियों के मामले निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा शासनादेश संख्या 428/26-3-2011, दिनांक 27-01-2011 द्वारा मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन भी किया गया है।

अत: इस संबंध में कृपया संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश देते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायी राजस्व अधिकारी इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in